भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 2927**

12.12.2016 को उत्‍तर के लिए

**वन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा और संरक्षण तथा प्रजनन**

**2927. श्री दर्शन सिंह यादव:**

**श्रीमती रजनी पाटिल:**

**श्री पि. भट्टाचार्य:**

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बाघों, शेरों, हाथियों इत्यादि जैसे वन्य जीव जन्तुओं की सुरक्षा, संरक्षण और प्रजनन हेतु अन्तर्राष्ट्रीय वन्य जीव जन्तु विशेषज्ञ निकायों से वित्तीय और तकनीकी सहायता प्राप्त की है या प्राप्त करने का विचार रखती है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वन्य जीव जन्तुओं के संरक्षण हेतु वन्य जीव जन्तुओं संबंधी कानूनों का कड़ार्इ से क्रियान्वयन करने हेतु कोर्इ कदम उठाए हैं या उठाने का विचार रखती है; और

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्यौरा क्या है?

**उत्‍तर**

**पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)**

**(श्री अनिल माधव दवे)**

(क) और (ख) जी, हां। वर्तमान में अंतरराष्‍ट्रीय संगठन द्वारा निम्‍नलिखित परियोजनाओं के लिए वन्‍यजीवों के संरक्षण तथा सुरक्षा के लिए वित्‍तीय तथा तकनीकी सहायता के लिए प्रस्‍ताव किया गया है :

1. भारत के पूर्वी तथा पश्चिमी तटों के उत्‍पादन क्षेत्र में तटीय तथा समुद्री जैवविविधता को मुख्‍यधारा में लाने के लिए - वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा अनुदान।
2. उच्‍च श्रेणियों के पर्वत भू-दृश्‍य, पश्चिमी घाटों में जैव विविधता को बनाए रखने के लिए एक प्रभावी बहुद्देशीय प्रबंधन कार्यढांचा का विकास – वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा अनुदान।
3. हिमालयन पारि-प्रणाली की उच्‍च श्रृंखला की आजीविका सुरक्षा, संरक्षण, वहनीय उपयोग तथा पुन:बहाली – वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा अनुदान।
4. मानव वन्‍यजीव संघर्ष को कम करने की परियोजना – जीआईजेड अनुदान।
5. विश्‍व वन्‍यजीव निधि के सहयोग से गैंडों के लिए डीएनए का डाटाबेस तैयार करने के लिए डीएनए इंडेक्सिंग प्रणाली।

(ग) और (घ) वन्‍यजीवों के संरक्षण के लिए वन्‍यजीव कानून को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा निम्‍नलिखित महत्‍वपूर्ण कदम उठाए गए हैं :

1. वन्‍यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 राज्‍य सरकारों के विभिन्‍न प्राधिकरणों को अपराधों की रोकथाम तथा जांच एवं अभियोग चलाने के लिए विभिन्‍न प्रकार की शक्तियां प्रदान करता है। राज्‍य सरकारें इस उद्देश्‍य के लिए क्षेत्र स्‍तर पर कार्यतंत्र का प्रवर्तन करता है।
2. केन्‍द्र सरकार ‘वन्‍यजीव पर्यावासों का एकीकृत विकास’, ‘बाघ परियोजना’, ‘हाथी परियोजना’ की केन्‍द्रीय प्रायोजित स्‍कीमों के तहत संरक्षण, अवसंरचना और अवैध शिकाररोधी कार्यकलापों के लिए (बाघ सुरक्षा बल, विशेष बाघ सुरक्षा बल, विशेष गैंडा बल की तैनाती सहित) राज्‍यों/संघ राज्‍य क्षेत्रों को वित्‍तीय सहायता प्रदान करती है।
3. राज्‍यों वन विभागों द्वारा थर्मल कैमरा का प्रयोग करते हुए उन्‍नत निगरानी के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी (ई-प्रणाली, बेहतर गश्‍त लगाना, कैमरा ट्रैप इत्‍यादि) का प्रयोग किया जाता है।
4. मॉनीटरिंग सिस्‍टम फॉर टाइगर्स इंटेन्सिव प्रोटेक्‍शन एंड इकोलॉजिक सिस्‍टम (एम-स्‍ट्राइप्‍स) के माध्‍यम से बेहतर सुरक्षा उन्‍मुख निगरानी के लिए राज्‍यों को सहायता प्रदान की जाती है।
5. बाघ रिजर्वों में ऑनलाइन टाइगर/वन्‍यजीव अपराध ट्रैकिंग/रिपोर्टिंग सिस्‍टम की दिशा में राष्‍ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और वन्‍यजीव अपराध नियंत्रण ब्‍यूरो के सहयोग के लिए पहले शुरू की जाती है और वन्‍यजीव उत्‍पादों का सीमापार व्‍यापार की जांच के लिए इंटरपोल के साथ समन्‍वय स्‍थापित किया जाता है।
6. केन्‍द्रीय अन्‍वेषण ब्‍यूरो को वन्‍यजीव अधिनियम, 1972 के अंतर्गत वन्‍यजीव अपराधियों को पकड़ने के लिए शक्ति संपन्‍न बनाया गया है।

\*\*\*\*\*